बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

श्री अनिल कुमार मंडल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को घूस लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.08.2026 को हिरासत में लिया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के भाग–4 के नियम–9(2)(क) के आलोक में श्री अनिल कुमार मंडल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को हिरासत में लिये जाने की तिथि से निलम्बित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अविनाश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स०)/उ०स्था०(आरोप)13–07/2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, अररिया/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया/श्री अनिल कुमार मंडल, निलंबित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संदर्भित मामले में विस्तृत जानकारी उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। उक्त अधिसूचना की तामिला श्री अनिल कुमार मंडल को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 4339 पटना, दिनांकः– 12/08/26

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/08/26
सरकार के उप सचिव

D:\Section-3 file\Vikash Sir\Vikash Sir.doc